<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा</u>

संगीता बनाम जगदीश आदि
परिवाद सं0–982 / 2015
धारा–323,504,506,458 भा0दं0सं0
थाना–डिलारी

<u>16.07.2018</u>

अभियुक्तगण राजू कुमार, विनोद कुमार, वीर सिह, रामपाल सिंह, राजीव कुमार व मुकेश कुमार की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र परिवाद सं0–982 / 2015 अन्तर्गत धारा– 323,504,506,458 भा0दं0सं0 थाना डिलारी में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वह निर्दोष हैं उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्तगण स्वेच्छया आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में है। मामला परिवाद पर आधारित है, अभियुक्तगण को अभी तक सुनवाई का मौका नहीं मिला है। अतः मामले के गुण दोष पर टिप्पणी किये बिना अभियुक्तगण की जमानत का आधार पर्याप्त है। अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत का स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण राजू कुमार, विनोद कुमार, वीर सिह, रामपाल सिंह, राजीव कुमार व मुकेश कुमार द्वारा पच्चीस–पच्चीस हजार रू0 के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा